संख्या-50/2018/1387जेएल/22-3-18-800(34)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार** अनुभाग-**3 ***लखनऊ: दिनांक: 05 जुलाई, 2018***

विषय- जिला कारागार, वाराणसी के बंदी इमरान आरफीन पुत्र श्री शमशुल आरफीन, निवासी-म0नं0-एस-20/10ए, मोहल्ला वरूणा पुल, थाना-कैण्ट, जनपद-वाराणसी को माता एवं पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, वाराणसी के बंदी इमरान आरफीन पुत्र श्री शमशुल आरफीन, निवासी-म0नं0-एस-20/10ए, मोहल्ला वरूणा पुल, थाना-कैण्ट, जनपद-वाराणसी को शासनादेश संख्या-31/2018/887जेएल/22-3-18-800(34)/2017, दिनांक 16-05-2018 के क्रम में **एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-50/2018/1387जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in